भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3960
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

गरीबों के लिए न्याय मित्र योजना

3960. श्री नीरज डांगी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश में गरीब वर्ग के नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई न्याय मित्र योजना के माध्यम से की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में, विशेषकर राजस्थान राज्य की जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान न्याय मित्र योजना में शामिल किए गए नए जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें अब तक कोई न्याय मित्र नहीं है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : अप्रैल, 2017 में, न्याय मित्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना था । इसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों के निपटान को सुकर बनाना है, जिसमें उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल मामले, जैसे वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले और दांडिक मामले भी सम्मिलित हैं । न्याय मित्र कार्यक्रम के प्रारंभ के बाद से असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 39 न्यायमित्र स्थित थे । न्याय मित्र उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कार्यरत नहीं है । वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 के लिए 11 न्याय मित्र, देश के 11 जिला न्यायालयों में कार्यरत थे । कार्यरत न्याय मित्र के जिला-वार ब्यौरे **उपाबंध 'क'** पर हैं । राजस्थान राज्य में, वर्ष 2017-18 के दौरान, जालोर, अलवर, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा जिला न्यायालयों में चार (4) न्याय मित्र नियुक्त किए गए थे । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान भीलवाड़ा, अलवर और श्री गंगानगर जिला न्यायालयों में तीन (3) न्याय मित्र नियुक्त किए गए थे । वर्ष 2019-20 में, दो (2) न्याय मित्र जोधपुर मेट्रो एवं जयपुर मेट्रो जिला न्यायालय में कार्यरत थे और वर्ष 2021-2022 में, अप्रैल 2022 से, कोटा एवं जयपुर मेट्रो-1 जिला न्यायालय, प्रत्येक में एक-एक, दो (2) न्याय मित्रों को नियुक्त किया गया था ।

******

उपाबंध 'क'

गरीबों के लिए न्याय मित्र योजना के संबंध में, श्री नीरज डांगी, संसद् सदस्य, द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3960, जिसका उत्तर 06-04-2023 को दिया जाना है, के भाग (ख)-भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

राज्य-वार विवरण, जिसमें (2017-2022) से नियुक्त न्याय मित्रों की संख्या अंतर्विष्ट है

क्रम सं0	राज्य	वर्ष- 2017-20218		वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2023		कुल
		जिला	न्याय मित्रों की सं0	जिला	न्याय मित्रों की सं0	जिला	न्याय मित्रों की सं0		जिला	न्याय मित्रों की सं0	
1	**असम**		-		-		-		कछार	1	**2**
									कामरूप मेट्रो	1	
2	**बिहार**	पटना	1		-		-			-	**1**
3	**महाराष्ट्र**		-		-	औरंगाबाद	1		नागपुर	1	**4**
						मुंबई सिविल न्यायालय	1				
						नागपुर	1				
4	**ओडिशा**		-		-	पुरी	1		कटक	1	**4**
						गंजाम	1		खुर्दा	1	
5	**राजस्थान**	**जालौर**	**1**	**भीलवाड़ा**	**1**	**जोधपुर मेट्रो**	**1**		**कोटा**	**1**	**11**
		अलवर	**1**	**अलवर**	**1**						
		गंगानगर	**1**	**गंगानगर**	**1**	**जयपुर मेट्रो**	**1**		**जयपुर मेट्रो**	**1**	
		भीलवाड़ा	1								
6	**त्रिपुरा**	पश्चिमी त्रिपुरा	1		-		-	**शून्य***		-	**1**
7	**उत्तर प्रदेश**	गाज़ियाबाद	1		-	इलाहाबाद	1		आगरा	1	**8**
		मेरठ	1								
		वाराणसी	1						इलाहाबाद	1	
		गोरखपुर	1								
		कुशीनगर	1								
8	**पश्चिमी बंगाल**	हावड़ा	1	उत्तरी परगना	1	बर्दवान	1		कलकत्ता	1	**8**
		24 उत्तरी परगना	1								
		बीरभूम	1						दक्षिणी 24 परगना	1	
		कूचबिहार	1								
	योग		**15**	**योग**	**4**	**योग**	**9**		**योग**	**11**	**39**

* वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी के कारण न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कारण किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका ।

****